e-ISSN:2582 - 7219

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 6, June 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 5.928

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com @ www.ijmrset.com

International Journal Of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 6, June 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0406064 |

महिला सशक्तिकरण: आदर्श और वास्तविकता

[1]डॉ. महेश चन्द गोठवाल & [2]नवल किशोर

[1]लोक प्रशासन, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर

[2]रिसर्च स्कॉलर, लोक प्रशासन विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

सार

- "विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है" – कोफ़ी अन्नान ।
- स्त्री एक टीबैग की तरह होती है, जब तक आप उसे गर्म पानी में न डालें, पता ही नहीं चलता कि वह कितनी सशक्त है।" – एलिएनॉर
- रूज़वेल्ट मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ।" बी. आर.अम्बेडकर
- जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।" ब्रिघम यंग
- पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता जिससे प्रकृति ने उसे सम्पन्न किया है।" महात्मा गाँधी
- इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं कि महिलाओं की शिक्षा तथा साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करती है" अमर्त्य सेन

परिचय

1 जून 2018- समाचार पत्र द हिन्दू ने भारत द्वारा निर्मित पाल नौका INSV तारिणी से सम्पूर्ण विश्व का परिक्रमण करने वाली समस्त महिला चालक दल की सफलता का विशेष वर्णन किया। उसी समाचार पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण की विरोधाभासपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कठुआ में एक लड़की के बलात्कार की रिपोर्टों को भी प्रकाशित किया गया था।एक कहानी 1950 के दशक के अंधकारमय दिनों की याद दिलाती है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत निकृष्टतम भेदभाव का सामना कर रहे थे। वह रोज़ा पार्ल्स नाम की एक अश्वेत महिला ही थी जिसने ऐसे समय में एक अकल्पनीय साहस का परिचय दिया। वह अलबामा के मांटगोमरी से बस में सवार हुईं। उस दिन शहर की बसों में सीटों के पृथक्करण पर स्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध से बस परिवहन प्रभावित हुआ था।जब अग्नि IV मिसाइल का सफलतापूर्क परीक्षण किया गया तो उस दिन केवल चिल्लाहट, सीटियों तथा तालियों की ही आवाज सुनी जा सकती थी। परन्तु इन सब के पीछे दृढ़ संकल्प और साहस की कहानी थी। यह कहानी एक भारतीय वैज्ञानिक एवं अग्नि IV मिसाइल की परियोजना निदेशक टेसी थॉमस की थी।एक अमेरिकी शिक्षिका हेलेन केलर स्त्रियों की क्षमता एवं शक्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसने अपने नेत्रहीन और बधिर होने के दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त की तथा 20वीं शताब्दी की अग्रणी मानवतावादियों तथा अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की संस्थापकों में से एक रहीं।[1,2]किसी भी समय की सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म तथा पांचवें स्थान पर सर्वाधिक कमाई करने वाली गैर-अंग्रेजी फिल्म किसी रूमानी या पुरुष नायक पर आधारित फिल्म नहीं है। बल्कि यह फिल्म 'दंगल' है। यह फिल्म गीता और बबिता फ़ोगाट की कहानी पर आधारित है जो भारत की प्रथम विश्व स्तरीय महिला पहलवान हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार **महिला सशक्तिकरण के पांच घटक हैं:**

- महिलाओं में आत्म-मूल्य की भावना;
- विकल्प रखने और निर्धारित करने का उनका अधिकार;
- अवसरों तथा संसाधनों तक पहुँच रखने का उनका अधिकार;
- घर के भीतर तथा घर के बाहर दोनों स्थितियों में अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति रखने का उनका अधिकार; तथा
- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक न्यायोचित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के सृजन हेतु सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की उनकी योग्यता।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 6, June 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0406064 |

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने लिंग असमानता को निम्नलिखित आयामों में परिभाषित किया है

- **क्षमता (AGENCY)-** प्रजनन, वित्तीय संसाधन तथा अपने स्वास्थ्य एवं सक्रियता पर व्यय करने के लिए अनन्य निर्णयन का सामर्थ्य।
- **मनोवृति (ATTITUDE):** महिलाओं/पत्नियों के विरुद्ध हिंसा और पुत्रों की आदर्श संख्या की तुलना में वरीयता दी गई पुत्रियों की आदर्श संख्या की मनोवृत्ति।[3,4]
- **निष्कर्ष (OUTCOMES):** इसका संबंध पुत्र की चाह (अंतिम सन्तान के लिंग अनुपात द्वारा मापित), महिला नियोजन, गर्भनिरोधक विकल्प, शिक्षा स्तर, विवाह के समय आयु, पहले बच्चे के जन्म के समय आयु तथा महिलाओं द्वारा भोगी गई शारीरिक और यौन हिंसा से है।
- **विश्व बैंक के अनुसार-** विकल्पों के सृजन और उन विकल्पों को इच्छित कार्यों एवं परिणामों में रूपांतरित करने हेतु व्यक्तियों या समूहों की क्षमताओं में वृद्धि करने की प्रक्रिया सशक्तिकरण है।

कामकाजी महिलाएं ग्लास-सीलिंग की अवधारणा से भी पीड़ित हैं जहाँ पेशेवर जीवन में उन्नति हेतु अप्रत्यक्ष बाधाएं उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त देखभाल उद्योग (care industry) में कुछ नौकरियां केवल महिलाओं हेतु ही आरक्षित हैं, जिन्हें प्राय: पिंक कॉलर मुद्दों के रूप में संदर्भित किया जाता है।इस मुद्दे से अलग कार्यस्थल पर अन्य मुद्दे भी हैं यथा – महिलाओं की क्षमताओं की अनुभूति जिन्हें प्राय: गौण या निम्न समझा जाता है; यौन-उत्पीड़न के मुद्दे; वेतन, पदोन्नति, महिलाओं के कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करने या उन्हें क्रेडिट देने इत्यादि के संबंध में भेदभाव आदि।कामकाजी महिलाओं को दोहरे बोझ की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाहर कार्य करने के अतिरिक्त उनसे घरेलू कार्य करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसे 'सेकंड शिफ्ट' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।**प्रौद्योगिकियों में उन्नति के कारण उनके कार्यों में उत्पन्न चुनौतियाँ** – कृषि में हुई प्रौद्योगिकीय उन्नति के कारण महिला श्रम अनावश्यक बनता जा रहा है। इससे उनके कार्य अवसरों में कमी हो रही है।कामकाजी महिलाओं को उनके श्रम का स्वामी स्वीकार नहीं किया जाता। अपने वेतन को कैसे और कहाँ व्यय करना है यह निर्णय लेने में उनकी भागीदारी या तो नगण्य है या पूर्णतया अनुपस्थित है।**अन्य समस्याओं में शामिल हैं-** सुरक्षा, यात्रा, कार्यस्थल पर सुविधाओं (शिशुसदन, शौचालय) आदि की समस्याएं।[5,6]

विचार-विमर्श

ऋग्वेद कहता है, "किसी पदार्थ के समान अर्द्धश होने के कारण पत्नी और पते प्रत्येक संबंध में समान होते हैं। इसीलिए दोनों को सभी धार्मिक एवं लौकिक कार्यों में संयुक्त और समान रूप से भाग लेना चाहिए। उपनिषद भी स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा न तो पुरुष है और न ही स्त्री।**उत्तर वैदिक युग** के उदय के साथ ही वैदिक युग की महिलाओं की स्थिति में पतन प्रारम्भ हो गया। क्रमशः समाज में लिंग समानता बढती चली गयी।इसने **महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक बुराई** की एक श्रृंखला को जन्म दिया यथा- बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर इत्यादि। इन सबके बावजूद सफल महिलाओं के भी अनेक उदाहरण मौजूद थे जैसे – लोपामुद्रा, मैत्रेय, गार्गी, अहिल्याबाई होल्कर इत्यादि।**भारतीय पुनर्जागरण ब्रिटिश शासन के दौरान राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर** जैसे सुधारकों के प्रयत्नों तथा समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण प्रारम्भ हुआ। इसके फलस्वरूप सती प्रथा के उन्मूलन, विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह से सम्बंधित विविध कानून अस्तित्व में आए।राष्ट्रीय परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण का अगला चरण महात्मा गाँधी के उदय के साथ आरम्भ हुआ। महात्मा गाँधी के अनुसार भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महिलाएं महत्वपूर्ण अहिंसात्मक भूमिका निभा सकती हैं। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता इत्यादि महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई।

परिवार में महिलाओं को देखभाल प्रबंधक (पालन-पोषण, शिक्षा आदि), संबंध प्रबंधक (संबंध स्तर पर पति और विस्तृत परिवार) तथा वित्तीय प्रबंधक[7,8] (बचत, बालभाव योग्यताएं) के रूप में देखा जाता है, जबकि कार्यस्थल पर उन्हें निरंतर ग्लास-सीलिंग का सामना करना पड़ता है।एक ओर वित्तीय लाभों हेतु महिलाओं के नाम पर सम्पत्तियों को पंजीकृत किया जाता है या खरीदा जाता है जबकि दूसरी ओर महिलाओं को इन लाभों से वंचित कर दिया जाता है।वर्ष 2008 के भारत के उत्तर वैश्विक वित्तीय संकट में आर्थिक पुनर्घाप्ति महिला अध्यक्षता वाले बैंकों के नेतृत्व में हुई थी- एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक की अरुंधती भट्टाचार्य आदि। हालाँकि नेतृत्व वाले पदों हेतु महिलाओं के लिए अस्वीकृति अभी भी निरंतर जारी है। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट-2015 के अनुसार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनियों के बोर्ड में केवल 7% स्थान ही महिलाओं के लिए गठित किए गए हैं।यद्यपि भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के पास विशाल फैन फालोइंग एवं स्टारडम है तथा अधिक संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने हेतु उनका प्रयोग किया जाता है, परन्तु उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत ही कम भुगतान दिया जाता है।[9,10]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 6, June 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0406064 |

राजनीतिक दल और विधायिका: पार्टी स्तर पर टिकट की संख्या के संदर्भ में भेदभाव (पार्टी टिकटों/प्रोन्नति के बदले में यौन अनुग्रह या समझौते); महिला विधायिकों/सांसदों की कम संख्या; विधायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व न होना आदि।**कार्यपालिका:** नौकरशाही, पुलिस, सशस्त्र बल।**न्यायपालिका:** प्रतिनिधित्व, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न।

यद्यपि अभिनेत्रियाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र होने के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों हेतु प्रचार अभियानों की सक्रिय सदस्य होती हैं, किन्तु फिर भी जब टिकट आवंटन तथा सत्ता में पद की बात आती है तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है।महिलाओं ने अनेक पथप्रवर्तक पहलों का नेतृत्व किया है तथा अनुकरणीय साहस का परिचय दिया है, जैसे-दुर्गा शक्ति नागपाल (IAS), किरण बेदी (IPS) आदि। हालाँकि सरकार में कार्यकारी पदों में विशेष रूप से उच्च स्तर पर उनकी संख्या/प्रतिशत निराशाजनक बनी हुई है।पंचायती राज स्तर पर महिलाओं हेतु स्थानों के 33.3% आरक्षण के संवैधानिक आदेश के होने के बावजूद ये पद अभी भी उनके पतियों द्वारा 'सरपंच पति' के रूप में प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जा रहे हैं।

परिणाम

सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण (Social & Cultural Empowerment)

- **व्यक्तिगत स्तर पर:** उनके अपने स्वास्थ्य से संबंधित निर्णयों, वृहद् घरेलू खरीदों से संबंधित निर्णयों, घरेलू क्षेत्र से बाहर उनकी गतिशीलता जैसे परिवार एवं रिश्तेदारों के घर और बाजार में यात्रा, अपने मित्रों के पास जाने या उनके यहाँ ठहरने से संबंधित निर्णयों, अपनी आजीविकाओं से संबंधित निर्णयों, गर्भनिरोधक, मासिक धर्म स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य,सरोगेसी, गर्भपात आदि से संबंधित निर्णयों में उनकी संलग्नता।
- **पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर:** उनकी वृत्ति (कैरियर) एवं शिक्षा, बच्चे (विशेषतः पुत्र को प्राथमिकता देना), विवाह (अर्थात् परिवार के निर्णय के विरुद्ध जाने की स्थिति में ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे), माता-पिता या पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा, परिवार नियोजन, व्ययों के प्रबंधन जैसे सामूहिक निर्णयों में संलग्नता, अपनी जीवनशैली के चयन जैसे-परिधान, मित्र, विचार-शैली या व्यवहार इत्यादि से संबंधित निर्णयों में उनकी सहभागिता।
- **कानूनों के सृजन तथा क्रियान्वयन के स्तर पर:** आरंभिक स्तर पर वैवाहिक बलात्कार को अपराध न मानना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A जैसे सामाजिक कानूनों के क्रियान्वयन का अभाव तथा इनका दुरुपयोग, भारत में ऑनर किलिंग की एक अपराध के रूप में अलग से कोई परिभाषा या वर्गीकरण का न होना (इसे IPC की धारा 302 के अंतर्गत हत्या माना जाता है तथा धारा 302 के अंतर्गत यह एक दंडनीय अपराध है)।[11,12]

भारत वह भूमि है जहाँ महिलाओं की देवियों के रूप में पूजा होती है। उन्हें एक पवित्र दर्जा दिया जाता है जबकि दूसरी ओर उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है (सबरीमाला मुद्दा)।महिलाओं को समाज में गृह-निर्माता तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक देखभालकर्ता के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि नर्स की नौकरी अधिकतर महिलाओं को दी जाती है। दूसरी ओर जब महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है।भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विगत अनेक वर्षों से यह देखा जा रहा है कि CBSE की परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अधिक है। परन्तु एक परिवार में लड़के की तुलना में लड़की की शिक्षा पर व्यय के संदर्भ में अभी भी भेदभाव किया जाता है।

आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment)

महिलाओं के कैरियर में निर्धारण तथा प्रतिबन्ध: महिलाओं के घरेलू कार्य (केयर इकॉनमी) अवैतनिक हैं और इसकी कीमत कम आंकी जाती है। पिंक कॉलर नौकरियां (जिन्हें पारंपरिक रूप से महिलाओं का कार्यक्षेत्र माना जाता है), कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र में माहिलाओं की बढती भागीदारी, उद्यमशीलता को एक करियर विकल्प के रूप में प्रोत्साहन नहीं दिया गया है आदि।**कार्यस्थल पर पक्षपात:** वेतन में विभेद, शिशुसदन (क्रेच) सुविधाएँ, मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न, ग्लास-सीलिंग (महिलाओं की पदोन्नति में अदृश्य सामाजिक बाधाएं) प्रभाव आदि।**कानूनों के सृजन तथा क्रियान्वयन के स्तर पर:** पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं के हिस्से के संबंध में निरंतर भेदभाव; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 का त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन।

निष्कर्ष

महिला आरक्षण के लाभ (Merits of Women's Reservation)

यह संसद तथा राज्य विधान मंडलों में महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि करेगा। वर्तमान में लोक सभा में केवल 11.6% तथा राज्य सभा में 11% महिला सदस्य हैं।महिलाओं से संबंधित मुद्दे संसद में अत्यधिक प्राथमिकता

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 6, June 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0406064 |

प्राप्त करेंगे तथा उनका सरलता से समाधान किया जा सकेगा।इससे संसद और राज्य विधानमंडलों के परिवेश को वाद-विवादों तथा चर्चाओं हेतु अधिक हितकर बनाने में सहायता मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण इस तथ्य का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है कि आरक्षण का महिला सशक्तिकरण हेतु एक उपकरण के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। 545 सदस्यीय लोक सभा में महिलाओं की सदस्यता 11.8%, जबकि 245 सदस्यीय राज्य सभा में इनकी संख्या 11% है।महिलाओं की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों में केवल 9% और राज्य परिषद के सदस्यों में 5% है। मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी जैसे राज्यों में कोई भी महिला विधायक नहीं है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पुलिस बलों के अंतर्गत महिलाओं की संख्या केवल 7.28% है।अंतर-संसदीय संघ (Inter Parliamentary Union: IPU) एवं यूएन वीमेन (UN Women) द्वारा प्रकाशित वीमेन इन पॉलिटिक्स, 2017 नामक रिपोर्ट के अनुसार कार्यकारी सरकार तथा संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भारत को विश्व स्तर पर 148वां स्थान प्रदान किया गया है।

प्रकृति अथवा पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है।इको-फेमिनिज्म (पर्यावरणीय स्त्रीवाद)- सर्वप्रथम "इको-फेमिनिज्म" शब्द **1980 में फ्रांसिस डी' इउबोन द्वारा प्रयुक्त किया गया था तथा निरंतर पारिस्थितिकीय आपदा के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन एवं गतिविधियों के कारण इसे लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह पारिस्थितिकीय स्त्रीवाद** और महिलाओं के आध्यात्मिक मुद्दों का संयुक्त रूप है। जैसे ही पर्यावरणीय आंदोलन ने पृथ्वी के क्षय हेतु पर्यावरणीय संकट के साथ महिलाओं की चेतना को जागृत किया, इसने पृथ्वी के अवमूल्यन तथा महिलाओं के अवमूल्यन के मध्य समन्वय करना प्रारंभ कर दिया। अतः प्रकृति और महिलाओं के मध्य अभिसरण को चिह्नांकित करने के लिए इको-फेमिनिज्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया।**महिलाएं एवं जलवायु परिवर्तन-** जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है- परंतु ये विश्व के सबसे गरीब और सुभेद्य परिस्थितियों में रहने वाले विशेषतः महिलाएँ एवं बालिकाएँ ही हैं, जो पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक क्षति के आघातों का सर्वाधिक सामना करती हैं। कई विकासशील देशों में प्रायः महिलाओं और बालिकाओं को जल, ईंधन संग्रह एवं खाद्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।[13,14]

यद्यपि हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, परंतु अभी एक लंबी दूरी तय करनी शेष है। **महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे आने वाले कल, हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।**महिला सशक्तिकरण, प्रकृति के सशक्तिकरण, हाशिए पर स्थित लोगों और देशों के सशक्तिकरण से न तो भिन्न है और न उनसे ही पृथक किया जा सकता है।महिलाओं के संघर्ष तथा आंदोलन हमेशा से ही शांति आंदोलनों, पर्यावरण आंदोलनों, श्रभिक एवं किसान आंदोलनों, मानवाधिकार आंदोलनों और लोकतांत्रिककरण और समाज के विकेन्द्रीकरण हेतु आंदोलनों के साथ निकटता से सम्बद्ध रहे हैं।**महिलाओं को उनकी क्षमता से अवगत करवाना अब समय की मांग बन चुकी है।** जबकि सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के लिए जागरूकता इत्यादि जैसे उपायों को अपनाना चाहिए।यह समाज के लिए जागरूकता उत्पन्न करने एवं सार्वजनिक मूल्यों का सृजन करने हेतु आवश्यक है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।यहां तक कि अनेक महिलाओं ने पितृसत्ता के मानदंडों का आंतरीकरण (internalized) को आत्मसात कर लिया है, ताकि वह अपने प्रभुत्व को अन्य महिलाओं पर स्थापित कर सके जैसे : सास का अपनी पुत्रवधु पर प्रभुत्व। इस प्रकार की संस्कृति की निरीक्षण करने की आवश्यकता है। **जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेटेल ने कहा है- "कानून केवल उस दिशा को निर्धारित करता है जिसे समाज को अपनाना चाहिए, समाज की वास्तविक दिशा इसकी संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है।**अंत में, महिलाओं को अपने सशक्तिकरण की मांग की पूर्ति हेतु स्वयं अग्रसर होने की आवश्यकता है। **कोफ़ी अन्नान के अनुसार** विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है।**"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"**– मनुस्मृति के अनुसार- "जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवी-देवता निवास करते हैं। जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है, वहां सभी प्रकार की पूजा करने के बाद भी भगवान निवास नहीं करते हैं।"[14]

संदर्भ

1. "Women's Empowerment" (PDF). मूल (PDF) से 12 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
2. ↑ "Women's Empowerment". मूल से 10 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
3. ↑ "Definition: Women Empowerment". मूल से 25 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
4. "Feminism | Definition, History, Types, Waves, Examples, & Facts | Britannica". www.britannica.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2019-11-25.
5. ↑ Gamble, Sarah (2001). "The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism".
6. ↑ Zajko, Vanda; Leonard, Miriam (2006). Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought. Oxford: Oxford University Press. पृ॰ 445. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-19-927438-3.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 6, June 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0406064 |

7. ↑ Howe, Mica; Aguiar, Sarah Appleton (2001). He said, she says: an RSVP to the male text. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press. पृ॰ 292. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8386-3915-3.
8. ↑ Showalter, Elaine (1979). "Towards a Feminist Poetics". प्रकाशित Jacobus, M. (संपा॰). Women Writing about Women. Croom Helm. पपृ॰ 25–36. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-85664-745-1.
9. ↑ E.g., Owens, Lisa Lucile (2003). "Coerced Parenthood as Family Policy: Feminism, the Moral Agency of Women, and Men's 'Right to Choose'". Alabama Civil Rights & Civil Liberties Law Review. **5**: 1. SSRN 2439294.
10. ↑ Zucker, Alyssa N. (2004). "Disavowing Social Identities: What It Means when Women Say, 'I'm Not a Feminist, but ...'". Psychology of Women Quarterly. **28** (4): 423–35. डीओआइ:10.1111/j.1471-6402.2004.00159.x.
11. ↑ Burn, Shawn Meghan; Aboud, Roger; Moyles, Carey (2000). "The Relationship Between Gender Social Identity and Support for Feminism". Sex Roles. **42** (11/12): 1081–89. डीओआइ:10.1023/A:1007044802798.
12. ↑ Renzetti, Claire M. (1987). "New wave or second stage? Attitudes of college women toward feminism". Sex Roles. **16** (5–6): 265–77. डीओआइ:10.1007/BF00289954.
13. ↑ Lingard, Bob; Douglas, Peter (1999). Men Engaging Feminisms: Pro-Feminism, Backlashes and Schooling. Buckingham, England: Open University Press. पृ॰ 192. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-335-19818-4.
14. ↑ Kimmel, Michael S.; Mosmiller, Thomas E. (1992). Against the Tide: Pro-Feminist Men in the United States, 1776–1990: A Documentary History. Boston: Beacon Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8070-6767-3.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com